उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14 अशोक मार्ग, शक्ति भवनः, लखनऊ ।
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–2156–शि0जाँ0–05(एफ)/पाकालि/20–7(03)05एफ/2019 दिनांकः 21-09-2020

आदेश

श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर (86020), सहायक अभियन्ता के कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, संगणक बीजकीय सेवा केन्द्र, प्रयागराज में तैनाती के दौरान दिनांक 15.02.2002 से लापता हो जाने के सम्बन्ध में उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना सिंह, सी–409, सेक्टर–बी, लखनऊ के द्वारा श्री चन्द्रशेखर के लापता होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना–शिवकुटी, प्रयागराज में दिनांक 26.02.2002 को दर्ज कराई गयी।

श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर, सहायक अभियन्ता (लापता) की अन्तिम रिपोर्ट कारपोरेशन को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष–शिवकुटी, प्रयागराज को अनेकों पत्र एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज के माध्यम से अनुरोध किया गया था। थाना–शिवकुटी, प्रयागराज के आई/सी0ओ0पी0 मेहदौरी श्री गिरिराज राय के द्वारा श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर (86020), सहायक अभियन्ता के लापता होने के सम्बन्ध में अपनी आख्या दिनांक 09.12.2013 को उपलब्ध करायी गयी, जिसमें श्री चन्द्रशेखर के बारे में कोई जानकारी न देकर अपनी जाँच का उल्लेख किया गया है।

श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर, सहायक अभियन्ता की अनुपस्थिति के दृष्टिगत कार्यालय में तुरन्त उपस्थित होने के लिए नोटिस का प्रकाशन कराने तथा कृत कार्यवाही से कारपोरेशन को अवगत कराने हेतु तत्कालीन महाप्रबन्धक, प्रयागराज को निदेशित किया गया था एवं अनेकों स्मरण पत्र प्रेषित किये गये। तत्कालीन महाप्रबन्धक, प्रयागराज के पत्र दिनांक 18.10.2003 के द्वारा श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर, सहायक अभियन्ता को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु दैनिक समाचार पत्रों **–यथा–** "दैनिक जागरण" तथा "आज" में क्रमशः दिनांक 11.05.2003 एवं 18.05.2003 को सूचना प्रकाशित करायी गयी और कारपोरेशन को अवगत कराया गया कि सूचनानुसार श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर, सहायक अभियन्ता द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

थाना–शिवकुटी, प्रयागराज से प्राप्त आख्या पर विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ने अपने अभिमत में यह उल्लेख किया कि प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस थाना द्वारा जाँच परिणाम के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध नहीं कराये जाने के दृष्टिगत श्रीमती कल्पना सिंह पत्नी श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर को मा0 सिविल कोर्ट, प्रयागराज से श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर की सिविल Death का उद्घोषणा आदेश प्राप्त कर कारपोरेशन को उपलब्ध कराये जाने हेतु कारपोरेशन के पत्र संख्या–1349–अ0प्र0–03/पाकालि/14-–4(149)के–03/86, दिनांक 31.07.2014 एवं स्मरण पत्र संख्या–2039–अ0प्र0–03/पाकालि/14–4(149)के–03/86, दिनांक 29.11.2014 द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु श्रीमती कल्पना सिंह के स्तर से वाँछित आदेश कारपोरेशन (मु0) को उपलब्ध नहीं कराया गया।

विधि अधिकारी द्वारा दिये गये अभिमत के दृष्टिगत पुनः श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर (86020), सहायक अभियन्ता (लापता दिनांक 15.02.2002) के मा0 सिविल कोर्ट, प्रयागराज में सिविल डेथ का उद्घोषणा पत्र उपलब्ध कराने हेतु उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना सिंह को कारपोरेशन के पत्र संख्या–2238 शि0जाँ0–05एफ/पाकालि/2019–7(3)05एफ/2019, दिनांक 26.09.2019 पंजीकृत डाक द्वारा निम्नांकित पतों पर

क्रमशः......2

सिविल डेथ का उद्घोषणा आदेश उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु श्रीमती कल्पना सिंह के द्वारा वाँछित उद्घोषणा आदेश कारपोरेशन (मु0) को उपलब्ध नही कराया गया :–

(1) श्रीमती कल्पना सिंह, पत्नी श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर, पुत्र श्री एस0सी0 घोष, सी–63, स्टाफ कालोनी, एम0एन0आर0 इंजीनियरिंग कालेज, प्रयागराज।

(2) श्रीमती कल्पना सिंह, द्वारा श्री रणजीत कुमार चौधरी, कटहलबाड़ी, खन्जरपुर, भागलपुर (बिहार)।

(3) श्रीमती कल्पना सिंह, पत्नी श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर, पुत्र श्री एस0सी0 घोष, ग्राम व पोस्ट–चोरहर वाया–खरीक बाजार, जिला–भागलपुर (बिहार)।

कारपोरेशन के पत्र संख्या–2238–शि0जाँ0–05एफ/पाकालि/2019–7(3)05एफ/2019, दिनांक 26.09.2019 के सन्दर्भ में श्रीमती कल्पना सिंह, पत्नी श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर ने सिविल डेथ का उद्घोषणा आदेश कारपोरेशन को उपलब्ध नहीं कराया।

कारपोरेशन के पत्र संख्या–2238–शि0जाँ0–05एफ/पाकालि/2019–7(3)05एफ/2019, दिनांक 26.09.2019 के सन्दर्भ में श्री सुभाष चन्द्र घोष, पिता श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर ग्राम व पोस्ट–चोरहर, वाया खरीक बाजार, जिला–भागलपुर (बिहार) ने अपने पत्र संख्या–शून्य, दिनांक 15.11.2019 के द्वारा अवगत कराया है कि इस सम्बन्ध में वर्ष, 2002 से ही उनकी पुत्रवधू से कोई सम्पर्क नहीं हुआ है, तथा वे अपने पुत्र की प्रतीक्षा में वर्ष, 2002 से है। लेकिन उनके लापता पुत्र के सम्बन्ध में कुछ भी उन्हें पता नहीं है तथा पुत्र वधू का भी पता उन्हें अभी तक उपलब्ध नही है। उनका कोई भी पत्र उत्तर प्रदेश (उ0प्र0) के पते पर भेजने का अनुरोध किया गया है। वर्ष, 2002 के बाद से ही उनकी पुत्रवधू का कोई भी पता (ठिकाना) उनके पास उपलब्ध नहीं है। न ही कोई सम्पर्क ही उन लोगों के साथ है।

उ0प्र0 मूल नियमावली, 1942 के संशोधित नियम–18[1] के तहत श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर (86020), तत्कालीन सहायक अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, संगणक बीजकीय सेवा केन्द्र, प्रयागराज में तैनाती के दौरान दिनांक 15.02.2002 से लापता रहने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनिक जाँच कार्यवाही सम्पादित करने हेतु कारपोरेशन के पत्र संख्या–427–शि0जाँ0–05एफ/पाकालि/2020–7(03) 05एफ/2019, दिनांक 15.02.2020 द्वारा प्रकरण मुख्य अभियन्ता, जाँच समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को सन्दर्भित किया गया।

जाँच समिति ने अपने पत्र संख्या–305/सं0–104/जाँ0सं0/(02/20), दिनांक 10.06.2020 द्वारा श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर (86020), तत्कालीन सहायक अभियन्ता की जाँचाख्या कारपोरेशन को उपलब्ध करायी।

जॉच समिति द्वारा श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर को आरोप पत्र संख्या–158/सं–104/जॉ0स0/(02–20) दिनांक 13.03.2020 द्वारा निम्नवत आरोपित किया गया :–

जब आप कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, संगणक बीजकीय सेवा केन्द्र, पू0वि0वि0नि0लि0, 117बी, टगोर टाउन, प्रयागराज में सहायक अभियन्ता के पद पर तैनात थे, तब आप दिनांक 15.02.2002 से लगातार बिना किसी सूचना एवं पूर्वानुमति के अपने कार्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं।

आपकी इस अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, संगणक बीजकीय सेवा केन्द्र, पू0वि0वि0नि0लि0, 117बी, टगोर टाउन, प्रयागराज द्वारा पत्रांक–573/सं0बी0से0के0(इ)/पीएफ, दिनांक 20.02.2002 एवं पत्र संख्या–575/सं0बी0से0के0(इ)/पीएफ, दिनांक 01.03.2002 के माध्यम से आपको उपस्थित होने हेतु निदेशित किया गया, फिर भी आप उपस्थित नहीं हुए।

क्रमशः...... 3

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, संगणक बीजकीय सेवा केन्द्र, पू0वि0वि0नि0लि0, 117बी, टगोर टाउन, प्रयागराज द्वारा आपकी अनुपस्थिति के दृष्टिगत, इस आशय का नोटिस जनपद–प्रयागराज के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 11.05.2003 एवं 18.05.2003 में प्रकाशित कराया गया। नोटिस प्रकाशित होने के उपरान्त भी आप न तो अपने अन्तिम तैनाती के कार्यालय में उपस्थित हुये और न ही आप द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना अपने क्षेत्रीय कार्यालय अथवा कारपोरेशन मुख्यालय को प्रेषित की गयी।

अतः अपने कार्यस्थल से लगातार दिनांक 15.02.2002 से बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन न किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकार कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के संगत नियमों का उल्लंघन करने हेतु श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर को आरोपित किया गया।

मुख्य अभियन्ता, जाँच समिति द्वारा श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर (86020), तत्कालीन सहायक अभियन्ता को अधिशासी अभियन्ता, संगणक बीजकीय सेवा केन्द्र, पू0वि0वि0नि0लि0, 117बी, टगोर टाउन, प्रयागराज, उ0प्र0 के माध्यम से पत्रांक–159 / सं–104 / जॉ0स0 / (02–20) दिनांक 13.03.2020 द्वारा आरोप पत्र संख्या–158 / सं–104 / जॉ0स0 / (02–20) दिनांक 13.03.2020 संलग्न कर प्रेषित किया गया। उक्त आरोप पत्र की एक प्रति श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर के निवास के पते पर भी जॉच समिति के पत्रांक–159 / सं0–104 / जॉ0स0 / (02–20) दिनांक 13.03.2020 द्वारा आरोप पत्र संख्या–160 / सं–104 / जॉ0स0 / (02–20) दिनांक 13.03.2020 के द्वारा प्रेषित की गयी। उक्त दोनों पत्र क्रमशः "लिखित पते पर अब यह आदमी नहीं है" एवं "यह आदमी बहुत दिन से लापता है" टिप्पणी के साथ वापस आ गये। तत्पश्चात श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर के विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत होने की सूचना एवं उक्त आरोप पत्र को जॉच समिति कार्यालय से प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश दिनांक 12.05.2020 को The Times of India के पटना संस्करण एवं दिनांक 13.05.2020 को "दैनिक जागरण" समाचार पत्र के भागलपुर संस्करण में प्रकाशित कराये गये किन्तु श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर द्वारा आख्या लिखे जाने की तिथि तक जॉच समिति के कार्यालय में उपस्थित होकर आरोप पत्र प्राप्त नहीं किया गया है और न ही अभियोजित आरोप के बचाव में कोई भी स्पष्टीकरण जॉच समिति को प्रस्तुत किया गया।

जॉच समिति द्वारा आरोप पत्र निर्गत करने की तिथि से आख्या लिखे जाने तक श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया, किन्तु श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर द्वारा न ही आरोप पत्र प्राप्त किया गया है और न ही अपना अभिकथन अथवा वांछित अभिलेख जॉच समिति को उपलब्ध कराये गये हैं।

कारपोरेशन द्वारा अभियोजित आरोप के बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु, श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर को आरोप पत्र निर्गमन की तिथि से अद्यतन पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। जॉच समिति द्वारा निर्गत आरोप पत्र आरोपित सेवक के स्थायी पते तथा वर्तमान पते से वापिस आने की स्थिति में समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित किया गया कि आरोप पत्र को 15 दिनों के अंदर जॉच समिति के कार्यालय में उपथित होकर प्राप्त कर ले तथा अग्रेतर कार्यवाही करें लेकिन श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर द्वारा न ही आरोप पत्र प्राप्त किया गया और न ही अपना अभिकथन अथवा वांछित अभिलेख जॉच समिति को उपलब्ध कराये गये। जिससे स्पष्ट होता है कि श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर के पास अपने बचाव में प्रस्तुत करने हेतु कोई भी तथ्य अथवा अभिलेख नहीं हैं तथा श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर को अभियोजित आरोप स्वीकार्य हैं।

क्रमशः.....4

अतः स्पष्ट है कि श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर जानबूझकर पत्र/उत्तर/सूचना/लिखित अभिकथन कारपोरेशन को प्रस्तुत नहीं करना चाहते है अथवा उनके पास अपने बचाव हेतु कोई तथ्य अथवा अभिलेख नहीं है या वह कारपोरेशन की सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत, मैं, अरविन्द कुमार, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 सक्षम प्राधिकारी होने के नाते श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर (86020), तत्कालीन सहायक अभियन्ता कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, संगणक बीजकीय सेवा केन्द्र, प्रयागराज को उनके विरूद्ध प्रश्नगत प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये, उत्तर प्रदेश मूल नियमावली, 1942 के नियम–18 तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) 1999 नियमावली के प्रस्तर–3 दीर्घ शास्तियाँ (तीन) में निहित प्राविधानानुसार उन्हें ***"सेवा से हटाने, जो भविष्य में सेवा से निरर्हित करता हो"*** **(Dismissal from the service which disqualifies from future employment)** का दण्ड एतद्द्वारा प्रदान करता हूँ।

(अरविन्द कुमार)
अध्यक्ष

संख्या–2156–(i)–शि0जाँ0–05(एफ)/पाकालि/2020 तद्दिनाक 21/9/2020

प्रतिलिपि श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर (86020), तत्कालीन सहायक अभियन्ता को निम्नांकित पते पर सूचनार्थ प्रेषित :–

पंजीकृत

(1) श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर,
पुत्र श्री सुभाष चन्द्र घोष,
ग्राम व पोस्ट–चोरहर,
वाया–खरीक बाजार,
जिला–भागलपुर (बिहार)।

(2) श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर (86020),
द्वारा श्री रणजीत कुमार चौधरी,
कटहलबाड़ी, खन्जरपुर,
भागलपुर (बिहार)।

संख्या–2156–(ii)–शि0जाँ0–05(एफ)/पाकालि/2020 तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(2) प्रबन्ध निदेशक पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
(3) निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, प्रयागराज।
(5) संयुक्त सचिव (अ0प्र0–02), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(6) उप सचिव (अ0प्र0–02ब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(7) उप सचिव (अ0प्र0–3/4), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(8) लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(9) जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि इस आदेश का प्रकाशन दैनिक हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक जागरण", लखनऊ, प्रयागराज एवं भागलपुर (बिहार) एवं संस्करण "टाइम्स ऑफ इण्डिया" (अंग्रेजी संस्करण), लखनऊ, प्रयागराज, भागलपुर (बिहार) में प्रकाशित कराकर, उसकी कटिंग सहित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें, **(आदेश संलग्न)**।

क्रमशः.....5

(10) संयुक्त सचिव (अनु0कार्य0) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(11) उप सचिव (गोपन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(12) अधिशासी अभियन्ता (बेबसाइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(13) अधिशासी अभियन्ता, संगणक बीजकीय सेवा केन्द्र, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, 117 टैगोर टाउन, प्रयागराज को इस आदेश की 02 प्रतियाँ (एक मूल प्रति सहित) इस आशय से प्रेषित कि आदेश की मूलप्रति श्री आदित्य कुमार चन्दशेखर (86020), तत्कालीन सहायक अभियन्ता, संगणक बीजकीय सेवा केन्द्र, प्रयागराज को हस्तगत कराकर पावती कारपोरेशन (मु0) को पुष्टि स्वरूप उपलब्ध करायें।

(14) समीक्षा अधिकारी (अन्तर्ग्रस्तता), शि0जाँ0–05एफ अनुभाग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(15) अभिरक्षण पत्रावली।

(16) सूचनापट, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

21-9-2020

(मनोज कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव (शि0जाँ0–05एफ)